न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 7/2023 (2023/39)

1. भूला देवी पुत्री धूला कुमावत निवारी सांकरिया उप तहसील कादेड़ा तहसील केकड़ी

—प्रार्थीया

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर
2. बाली देवी पुत्री धूला जाति कुमावत निवासी ग्राम मेहला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3. रंगलाल माता काली देवी
4. नोरतमल माता काली देवी
5. कैलाशी माता काली देवी
6. टोमा माता काली देवी

जाति कुमावत निवासी ग्राम बडला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा

—— अप्रार्थीगण

7. शिवजी पुत्र धन्ना
8. गोपाल पुत्र रामनाथ
9. रोड़ू पुत्र मांगीलाल

जाति कुमावत निवासी ग्राम सांकरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर

——प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

स्थित:—

1. श्री सीताराम कुमावत —प्रार्थी अधिवक्ता
2. पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज.लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

—:: निर्णय ::—

दिनांक 10/7/23

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 राज.लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम सांकरिया तहसील केकड़ी में स्थित आराजी का विवरण निम्न प्रकार है—

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
594—124	397	0.09	बारानी 2
	398	0.11	बारानी 2
	399	0.14	बारानी 2
	400	0.17	बारानी 2
	401	0.14	बारानी 2
	405	0.18	बारानी 2
	406	0.24	बारानी 2
	412	0.14	बारानी 2
	413	0.32	बारानी 2
	कुल किता 9	कुल रकबा 1.53 हैक्टर	

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अनुसार उक्त आराजीयात को प्रार्थिया ने बेनाथ पुत्र धूला जाति कुमावत निवासी सांकरिया हिस्सा 1/4 से जरिये रिजस्टर्ड विक्रयपत्र से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था जिसका नामान्तकरण संख्या 1644 दिनांक 20.07.2017 द्वारा प्रार्थीया के नाम खोला गया। इस खरीद की दिनांक से ही आराजीयात के 1/4 हिस्से पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपयोग उपभोग चला आ रहा है। राजस्व अधिकारियों ने लापरवाही पूर्वक कार्य करते हुए प्रार्थनापत्र वर्णित आराजीयात में प्रार्थीया के 1/4 हिस्से में आगे की जमाबन्दियों में प्रार्थीया का नाम विलोपित कर दिया तथा पुनः मूल खातेदार बेनाथ पुत्र धूला का नाम अंकित कर दिया गया जिसे राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाकर बेनाथ पुत्र धूला का नाम विलोपित कर प्रार्थीया का नाम अंकित किया जाना न्यायोचित है। उक्त वर्णित आराजीयात की जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 की जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित था, लेकिन इसके पश्चात्वर्ती जमाबन्दीयों में अप्रार्थी संख्या 1 ने लापरवाही पूर्वक प्रार्थीया का नाम विलोपित कर दिया तथा पुनः पूर्ववर्ती खातेदार का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया। प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 12.07.2022 को निवेदन किया तो टालमटोल करते रहे तथा श्रीमान के समक्ष वाद प्रस्तुत कर आदेश लाने के लिए प्रार्थीया को कहा गया जिससे यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी के 1/4 हिस्से के राजस्व रिकॉर्ड में पूर्ववर्ती खातेदार बेनाथ पुत्र धूला का नाम विलोपित किया जाकर प्रार्थीया का नाम 1/4 हिस्से में अंकित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण 2 लगायत 6 की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया जिसके अनुसार प्रार्थनापत्र का पैरा संख्या 1 लगायत 7 में वर्णित कथन स्वीकार है। पैरा संख्या 8 लगायत 11 के कथन कानूनी है तथा पैरा संख्या 12 प्रार्थना है जो स्वीकार करने योग्य है। साथ ही प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात के 1/4 हिस्से को प्रार्थीया भूला देवी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के बेनाथ पुत्र श्री धूला कुमावत से खरीद किया तथा जिसके पश्चात प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण भी तस्दीक किया जा चुका था, लेकिन पुनः आराजीयात बेनाथ के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हो गई है जिसे दुरूस्त कर प्रार्थीया भूला पुत्री धूला का नाम अंकित किया जाना न्यायोचित है, जिसमें हमे कोई आपत्ति नही है। पैरोकार सरकार तहसीलदार केकड़ी को सुना गया। तहसीलदार केकड़ी द्वारा अवगत कराया गया कि वादवर्णित आराजी खातेदारी में दर्ज होने से राजहित प्रभावित नही है।

आदेश

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, विक्रयपत्र दिनांक 30.05.2017 का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2072–75 खाता संख्या नया पुराना 124–104 में नामांतकरण संख्या 1644 दिनांक 20.07.2017 का नोट अंकित है जिसमें जरिये बैचान से बैनाथ हिस्सा 1/4 के स्थान पर क्रेता भूला देवी पुत्री धूला जाति कुमावत हिस्सा 1/4 सा.देह खातेदार दर्ज स्वीकार हुआ। पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार किया जाकर प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी वाके ग्राम सांकरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर के खाता संख्या 594–124 कुल किता 9 कुल रकबा 1.53 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में बेनाथ पुत्र धुला हिस्सा 1/4 जाति कुमावत के स्थान पर भूला देवी पुत्री धूला हिस्सा 1/4 जाति कुमावत का अंकन दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे। तहसीलदार केकड़ी द्वारा आदेशानुसार इन्द्राज दुरूस्ती किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)